भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 856
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन

856. श्री सी.एन. अन्नादुरई :
श्री नवसकनी के :
श्री जी. सेल्वम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण-।। को क्रियान्वित किया है, यदि हां, तो इस परियोजना के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है तथा इसके कार्यान्वयन पर कुल कितना व्यय हुआ है ;
(ख) क्या सरकार का विभिन्न न्यायालयों के संचालन के लिए चरण-।।। के माध्यम से ई-कोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव है ;
(ग) यदि हां, तो ई-कोर्ट परियोजना के चरण-॥ में वर्चुअल सुनवाई, उच्च न्यायालयों की वर्चुअल पीठों की स्थापना आदि सहित कुल परिव्यय और तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के चरण-। और चरण-॥ की उपयोगिता का आकलन किया है, यदि हां, तो आकलन का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं ; और
(ङ) क्या सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के चरण-॥। के कार्यान्वयन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी, हाँ। सरकार ने 2015-2023 के दौरान ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-II को क्रियान्वित किया है, जो मुख्य रूप से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता और विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों पर केंद्रित है। 1670 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1668.43 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(ख) और (ग) : 13.09.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से शुरू होने वाली 4 वर्ष की अवधि के लिए 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई- परियोजना के चरण-III को मंजूरी दे दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य विरासत अभिलेख सहित संपूर्ण न्यायालय अभिलेख के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था की शुरुआत करना और सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा केंद्र से संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-III का उद्देश्य मामलों को सूचीबद् करते या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के लिए डेटा-आधारित विनिश्चय करने में सक्षम बुद्धिमान स्मार्ट प्रणाली स्थापित करना है। चरण- III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, इस प्रकार न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान

करना है। परियोजना एक "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव की परिकल्पना करती है। इस प्रकार ई-न्यायालय चरण- III देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और बाधा मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ई-न्यायालय चरण- III के विभिन्न घटकों में विरासत अभिलेख के 3108 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, 4400 पूरी तरह कार्यात्मक ई-सेवा सभी न्यायालय परिसरों में केंद्र स्थापित करना, तथा कृतिम आसूचना /मशीन लर्निंग जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करना आदि है । ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफारिश पर विभिन्न उच्च न्यायालयों को, न कि विशिष्ट राज्यों को निधियाँ जारी की जाती हैं । मद्रास उच्च न्यायालय के संबंध में घटक-वार आवंटन का विवरण उपाबंध I में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-न्यायालय परियोजना चरण-III के अंतर्गत बजट अनुमान में 1500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है , जिसमें से जुलाई 2024 तक 465.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ) : जी, हां। ई-न्यायालय परियोजना के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया गया है तथा मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- ई -न्यायालय परियोजना के कारण न्यायालयों में फाइल मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है तथा ऑनलाइन पोर्टलों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना तक आसान पहुंच में मदद मिली है।
- ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न आईसीटी सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की गई ।
- ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह से नियोजित है और सभी भुगतान समय पर प्राप्त होते हैं।
- ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन से न्यायालय समय प्रबंधन और सूचना की पारदर्शिता में सुधार से न्यायाधीश संतुष्ट हैं ।
- नमूना न्यायालयों में से 90-100% में कंप्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था है तथा मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) स्थापित है।
- न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के एक बड़े हिस्से ने सीआईएस, एनजेडीजी और हार्डवेयर के उपयोग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लगभग सभी उत्तरदाताओं की राय थी कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी थे।
- मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), जस्टआईएस मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) वेबसाइट जैसी सेवाओं का अक्सर उपयोग किया जाता है और इनका यूजर इंटरफेस आसान है।
- अधिकांश न्यायाधीशों और न्यायालय अधिकारियों का मानना है कि ई-न्यायालय परियोजना से लंबित मामलों में कमी आई है, क्योंकि मामलों की विधिक जानकारी तक आसान पहुंच के कारण बेहतर अनुसंधान संभव हुआ है।
- पिछले कुछ वर्षों में पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या में धीमी लेकिन निरंतर गिरावट देखी गई है।
- वर्ष 2017 से जिला न्यायालयों की निपटान दर में भी तीव्र वृद्धि देखी गई है।

(ङ) : ई-न्यायालय परियोजना को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति , जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति कर रहे हैं, तथा न्याय विभाग के सहयोग से संबंधित उच्च न्यायालयों

के माध्यम से विकेंद्रीकृत रीति से क्रियान्वित किया जा रहा है। ई-समिति ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है तथा न्याय विभाग के साथ सहयोगात्मक साझेदारी में काम करती है, जो परियोजना के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

न्यायालय परियोजना चरण-III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को माननीय न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2022 को ई–समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ने 13 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चरण-III की मंजूरी का आधार बनाया। इसके अतिरिक्त, ई- समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग, डिजिटलीकरण आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं और मार्गदर्शन के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भेजी हैं।

*****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 856 जिसका उत्तर 26/07/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ई-न्यायालय चरण- III के घटक और वित्तीय ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	योजना घटक	लागत अनुमान (कुल (करोड़ रु. में)
1	मामला अभिलेख की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण	**2038.40**
2	क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर	**1205.23**
3	विद्यमान न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर	**643.66**
4	नव स्थापित न्यायालयों में बुनियादी ढांचा	**426.25**
5	आभासी न्यायालय	**413.08**
6	ईसेवा केंद्र	**394.48**
7	कागज रहित न्यायालय	**359.20**
8	सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकास	**243.52**
9	सौर ऊर्जा बैकअप	**229.50**
10	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप	**228.48**
11	ई फाइलिंग	**215.97**
12	कनेक्टिविटी (प्राथमिक + अतिरेक)	**208.72**
13	क्षमता निर्माण	**208.52**
14	क्लास (न्यायालय रूम लाइव-ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम)	**112.26**
15	परियोजना प्रबंधन इकाई	**56.67**
16	भविष्य की तकनीकी प्रगति	**53.57**
17	न्यायिक प्रक्रिया का पुनः अभियांत्रिकीकरण	**33.00**
18	दिव्यांगजनों के अनुकूल आईसीटी सक्षम सुविधाएं	**27.54**
19	नया कदम	**25.75**
20	ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)	**23.72**
21	ज्ञान प्रबंधन प्रणाली	**23.30**
22	उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए ई-ऑफिस	**21.10**
23	अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण	**11.78**
24	एस 3 डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म	**6.35**
	कुल	**7210**

****